आवेदन क्रमांक	आवेदन प्रपत्र मुल्य रू. 300.00

उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, उज्जैन

कोटा रेल्वे स्टे ान प्लेट फॉर्म क्रमांक 4 पर साँची मिल्क पॉर्लर हेतु आवेदन प्रपत्र

उज्जैन सहकारी दुग्ध संध मर्यादित, उज्जैन
मक्सी रोड़ डेयरी प्लांट, उज्जैन–456001
दूरभाश – 2527061,2527068,2527066

मोनो

उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित

मक्सी रोड़, पोस्ट बॉक्स नं.106, उज्जैन–456001 (म.प्र.)

दूरभाश – 0734–2527068, फेक्स नं. 2527063

कोटा रेल्वे स्टे ान प्लेट फॉर्म क्रमांक 4 पर साँची मिल्क पॉर्लर संचालन हेतु एजेन्ट की आव यकता।

उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मार्यादित, उज्जैन द्वारा कोटा रेल्वे स्टे ान के प्लेटफार्म क्रमांक 04 पर मिल्क पॉर्लर आवंटित कर पॉर्लर से दूध एवं दुग्ध उत्पाद के विक्रय एजेन्ट नियुक्त किया जाना है। इच्छुक व्यक्ति/फर्म निर्धारित आवेदन पत्र एवं आवंटन से संबंधित समान्य भार्तो को रूपये 300/– के नगद भुगतान पर दुग्ध संघ कार्यालय से क्रय कर सकते है अथवा एमपीसीडीएफ की वेबसाईट http://www.mpcdf.gov.in से दिनांक 12/06/2019 से दिनांक 20/06/2019 तक डाउनलोड़ कर सकते है आवेदन प्रपत्र की राि ा रूपये 300/– डी.डी. के माध्यम से जो कि **''उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित,''** पेयबल एट उज्जैन के नाम देय हो आवेदन के साथ लगाना अनिवार्य है। आवेदक प्राप्त आवेदनों में क्रम ाः एक्स सर्विस मेन/उज्जैन दुग्ध संघ/एमपीसीडीएफ के सेवा निवृत्त कर्मचारी/अधिकारी/कर्मचारी साख समिति/सामन्य आवेदकों को प्राथमिकता होगी। आवेदक कोटा भाहर का मूल निवासी होने पर प्राथमिकता दी जावेगी। यद्यपि अन्य भाहरों के व्यक्ति/पार्टी भी आवेदन प्रस्तुत कर सकते है। आवेदन पत्र के साथ रूपये 10000/– (मात्र दस हजार) का डी.डी. **''उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित,''** पेयबल एट उज्जैन के नाम बनाकर अर्नेस्ट मनी के रूप में संलग्न कर दिनांक 20/06/2019 तक अपरान्ह 1:00 के पूर्व उपरोक्त पते पर जमा करनी होगी। पूर्ण रूप से भरे हुए आवेदन पत्र दिनांक 20/06/2019 को अपरान्ह 3:00 बजे समिति एवं आवेदक/प्रतिनिधि की उपस्थिति में लॉटरी ड्रा के माध्यम से एजेन्ट का चयन किया जाएगा। अपूर्ण आवेदन एवं आवेदन प्रपत्र के साथ वांछित समस्त दस्तावेज के अभाव में आवेदन पत्र को लॉटरी हेतु सम्मिलित नहीं किया जावेगा।

किसी एक या समस्त आवेदन पत्र को आंि ाक अथवा पूर्ण रूप से बिना कारण बताये स्वीकृत/निरस्त करने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी के पास सुरक्षित होगा एवं यह निर्णय समस्त कानूनी परिधि से मुक्त होगा।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी

“Export enquiries for Sanchi Ghee from exporters are invited. Please contact 9425077856/9425912916 or foreigntrademtc@gmail.com /sanchimsids@gmail.com for all terms and conditions.”

मूल्य रू. 300/–

उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, उज्जैन
डेयरी प्लांट मक्सी रोड़ उज्जैन

रेल्वे मिल्क पार्लर संचालन का कार्य आवंटन हेतु आवेदन प्रपत्र

1	आवेदन प्रपत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि एवं स्थान	**दिनांक 20.06.19 समय अपरान्ह 1:00 बजे तक उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, उज्जैन**
2	आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि, समय एवं स्थान	**20.06.19 अपरान्ह 2:00 बजे तक उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, डेयरी प्लांट मक्सी रोड़, उज्जैन।**
3	आवेदन खोलने की तिथि एवं समय	**दिनांक 20.06.2019 अपरान्ह 3:00 बजे**
4	आवेदन खोलने का स्थान	**उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, डेयरी प्लांट मक्सी रोड़ उज्जैन**
5	आवेदन के साथ जमा की जाने वाली अमानत राशि	**आवेदन के साथ रू. 10,000/–** (रू. दस हजार मात्र) **डी.डी. जो ''उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, उज्जैन'' के नाम देय हो**

<u>उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, उज्जैन</u>

<u>कोटा रेल्वे स्टे ान के प्लेट फार्म क्रमांक 4 पर साँची रेल्वे मिल्क पार्लर हेतु आवेदन पत्र</u>

प्रति,

मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित,
उज्जैन।

विषय :– रेल्वे मिल्क पार्लर हेतु आवेदन पत्र।

1. आवेदक का नाम :– ————————————————————
2. पिता / पति का नाम :– ————————————————————
3. शैक्षणिक योग्यता :– ————————————————————
   (न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता हायर सेकेंडरी पास)
4. स्थाई पता :– ————————————————————
   (दूरभाष / मोबाइल नं. के साथ)
5. पत्र व्यवहार का पता :————————————————————
   (दूरभाष / मोबाइल नं. के साथ)
6. स्टे ान एवं प्लेटफार्म क्रमांक :– ————————————————————
   (जहाँ के लिये आवेदन किया गया है।)
7. वर्तमान व्यवसाय / कार्य :– ————————————————————
   व्यवसाय पिता का या स्वयं का ————————————————————
   व्यवसाय स्थान का पता (दूरभाष नं. सहित)————————————————————
8. वित्तीय स्थिति :–
   – वर्तमान व्यवसाय की लागत ————————————————————
   – वर्तमान व्यवसाय की आय ————————————————————
   – चल / अचल संपत्ति का विवरण ————————————————————
   – मिल्क पार्लर हेतु लगाई जाने वाली पूँजी ————————————————————
9. दूध एवं दुग्ध पदार्थ व्यवसाय का कोई अनुभव :–
   ————————————————————————————————
   ————————————————————————————————
   ————————————————————————————————
10. किसी तरह का न्यायालयीन प्रकरण लंबित तो नहीं है। हाँ / नहीं
11. FSSAI लाईसेन्स की छायाप्रति संलग्न करें है।
12. जीएसटी नम्बर :– ————————————————————
    (छायाप्रति संलग्न करें है।)
13. (अ) जमानतदार का नाम एवं पूरा पता (दूरभाष सहित) व्यवसाय मासिक आय :–
    ....
    ....
    (ब) जमानतदार का नाम एवं पूरा पता (दूरभाष सहित) व्यवसाय मासिक आय :–
    ....
    ....

नोट :– एक जमानतदार सरकार कर्मचारी होना आव यक है।

14. आवेदक भूतपूर्व सैनिक या दुग्ध संघ के सेवानिवृत्त अधिकारी/कर्मचारी है तो पूर्ण विवरण प्रमाण पत्र सहित संलग्न करें।

मिल्क पार्लर आवंटन से संबंधित समस्त शर्तें पढ़ एवं समझ चुका हँ/चुकी हूँ और मान्य करता हूँ/करती हूँ।

आवेदक का नाम

नोट :– हस्ताक्षर राजपत्रित अधिकारी से प्रमाणित करावें।

नाम —————————————

हस्ताक्षर प्रमाणित किये।

रेल्वे मिल्क पार्लर हेतु सामान्य शर्तें

1. यह आवेदन फार्म केवल कोटा रेल्वे स्टे ान के प्लेट फार्म क्रमांक 4 पर मेसर्स प्रेम एजेन्सी तथा श्री राजेन्द्र कुमार मांगला के रिफ्रे ामेन्ट स्टॉलों के बीच सॉची मिल्क स्टॉल आवेदन प्रक्रिया में हिस्सा लेने के लिए ही मान्य है।
2. आवेदक जिस शहर के रेल्वे स्टे ान हेतु आवेदन प्रस्तुत कर रहा है, वहीं का मूल निवासी होने पर प्राथमिकता दी जावेगी। यद्यपि अन्य शहरों के व्यक्ति/पार्टी भी आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं।
3. आवेदन के साथ फोटो लगाना अनिवार्य होगा जिसे राजपत्रित अधिकारी से प्रमाणित कराया जाना आव यक होगा।
4. आवेदक को दो जमानतदार देना अनिवार्य होगा, जिसमें एक सरकारी कर्मचारी होना आव यक होगा।
5. आवेदन के साथ संबंधित थाने से पुलिस वेरिफिके ान रिपोर्ट/टिन नंबर/पेन नंबर संलग्न करना अनिवार्य होगा।
6. आवेदक को अपने हस्ताक्षर राजपत्रित अधिकारी से सत्यापित कराकर प्रस्तुत करना होगा।
7. जमानतदार जमानत देने पर यदि एजेन्ट द्वारा दुग्ध संघ को देय कोई रा ा वसूली हेतु बाकी रहती है, तो उसकी वसूली हेतु दुग्ध संघ जमानतदार पर न्यायालयीन कार्यवाही करेगा परन्तु जमानतदार की संपत्ति संबंधी ब्यौरा का उल्लेख भी होना आव यक है ताकि वसूली सुनि चत की जा सके।
8. आवंटन की द ाा में आवेदक को दुग्ध संघ के साथ अनुबंध हस्ताक्षर करना अनिवार्य है। इसके साथ रेल मंडल के साथ भी एक ट्राई पार्टी अनुबंध हस्ताक्षर करना होगा।
9. प्राप्त आवेदनों में से एजेन्ट का चयन लॉटरी के आधार पर होगा। लॉटरी का ड्रा दुग्ध संघ के द्वारा आवेदकों के समक्ष कराया जावेगा। संघ के नियमानुसार (एक्स सर्विस मैन/दुग्ध संघ/महासंघ के सेवा निवृत्त कर्मचारी/अधिकारी/कर्मचारी साख समिति को इसी क्रम में प्राथमिकता दी जाएगी।)
10. प्रार्थी का चयन होने पर रू.100000/– (एक लाख रूपये मात्र) रिफन्डेबल डिपॉज़िट एक मुस्त जमा करना होगा।
11. मिल्क पार्लर का आवंटन होने के प चात् यदि एजेन्ट उसे स्वेच्छा से छोड़ना चाहता है, या दुग्ध संघ द्वारा एजेन्ट ाीप निरस्त की जाती है तो रू.100000/– का रिफन्ड लेने के पूर्व उसे संघ से बकाया लेन देन के समायोजन प चात् एवं रेल मंडल से संबंधित शाखाओं से नो ड्यूज़ सर्टिफिकेट प्रस्तुत करने पर रिफण्ड की जाएगी।
12. रेल्वे द्वारा उपरोक्त मिल्क स्टॉल का आवंटन 5 वर्श के लिए किया गया है तथा प्रतिवर्श निम्नानुसार वर्शिक रेल्वे लायसेन्स फीस निर्धारित की गई है जिसमें 18 प्रति ात जीएसटी अलग से प्रभावी होगा :–

क्र.	संचालन वर्श	वर्शिक रेल्वे लायसेन्स फीस
1	पहला वर्श	7,50,000
2	दुसरा वर्श	7,50,000
3	तीसरा वर्श	7,50,000
4	चौथा वर्श	8,25,000
5	पांचवा वर्श	8,25,000

रेल्वे द्वारा मिल्क पॉर्लर संचालन उपरांत विक्रय हो रही मिल्क मात्राओं का निरीक्षण कर टर्न ओवर ज्ञात किया जाएगा। उपरोक्त लयसेन्स फीस या टर्न ओवर का 12 प्रति ात इसमें जो भी अधिक हो पॉर्लर एजेन्ट को बतौर लायसेन्स फीस जमा करना होगा। एजेन्ट को निर्धारित वार्शिक लायसेन्स फीस एवं जीएसटी दुग्ध संघ में बतौर अग्रिम जमा करने होंगे एवं प्रतिमाह विक्रय के आधार पर 12 प्रति ात से गणना की जावेगी यदि उक्त टेबल में उल्लेखित लायसेन्स फीस से अधिक की रा ा गणना करने पर आती है तो अधिक रा ा दुग्ध संघ में जमा करनी होगी। इसके अतिरिक्त रेल मंडल द्वारा अधिकृत ब्रांड के मिनरल वाटर के विक्रय किए जाने पर उनके द्वारा मिनरल वाटर के विक्रय हेतु निर्धारित लाइसेंस फीस अलग से प्रतिमाह पार्लर एजेंट

को जमा करनी होगी। जमा न करने पर आवंटन निरस्त किया जावेगा। अग्रिम लायसेन्स फीस के अतिरिक्त चयनित एजेन्ट को 3,90,000 की परर्फोमेन्स बैंक ग्यारंटी निर्धारित अवधि हेतु रेल्वे मे जमा कारनी होगी।

13. विद्युत/पानी/डीप फ्रीज एवं अन्य व्यय का भुगतान एजेन्ट द्वारा किया जावेगा।

14. अपूर्ण आवेदन पर विचार नहीं किया जावेगा।

15. रेल्वे मिल्क पार्लर से संघ द्वारा प्रदायित दूध एवं दुग्ध पदार्थों के ही विक्रय करने की अनुमति दी जाती है इसके अतिरिक्त एजेन्ट द्वारा अन्य खाद्य/पेय पदार्थ विक्रय करते हुए पाये जाते हैं तो रेल मंडल/संघ द्वारा जो भी एजेन्ट के विरूद्ध कार्यवाही की जाती है, उसका वहन एजेन्ट को करना है। आवंटी द्वारा नियुक्त किए गए सेल्समेन द्वारा की गई कोई भी अनियमितता आवंटी द्वारा की गई अनियमितता मानी जाएगी।

16. संघ द्वारा निर्धारित खुदरा मूल्य (एम.आर.पी) पर ही दूध एवं दुग्ध पदार्थ का विक्रय किया जाना है यदि संघ अथवा रेल मंडल द्वारा एजेन्ट को निर्धारित मूल्य से अधिक मूल्य पर दुग्ध पदार्थ विक्रय करते हुए पाये जाने पर संघ अथवा रेल मंडल द्वारा जो भी जुर्माना लगाया जायेगा, उसका वहन एजेन्ट को करना होगा। उक्त कार्य की पुर्नरावृत्ति पाये जाने पर आवंटन निरस्त करने की कार्यवाही की जावेगी।

17. आवेदक या उसके परिवार के किसी भी सदस्य को पूर्व से रेल्वे मिल्क पार्लर आवंटित हो तो उसके आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा।

18. यदि कोई ऐसा आवेदक या आवेदन प्राप्त होगा जिसका संघ में कोई रिकार्ड खराब हो अथवा पूर्व में संघ की नीतियों के विरूद्ध कार्यवाही की गई हो तो उस आवेदक का आवेदन संघ स्तर पर निरस्त कर दिया जायेगा एवं आवेदन प्रक्रिया में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

19. यदि कं ा ानर/आवंटी एवं दुग्ध संघ के बीच कोई विवाद उत्पन्न होता है तो वाद आर्बीटे ान हेतु उज्जैन दुग्ध संघ के अध्यक्ष को संदर्भित किया जायेगा एवं उसके द्वारा दिया गया अवार्ड दोनो पक्षों को मान्य एवं बंधनकारी होगा। आर्बीटे ान की कार्यवाही आर्बीटे ान एण्ड काउंसिल अधिनियम 1996 के अंतर्गत संदर्भित होगी।

20. समस्त विवादों के निराकरण के लिये न्यायिक कार्यक्षेत्र उज्जैन होगा।

21. मिल्क पार्लर पर कार्यरत सेल्समेन को रेल मंडल/दुग्ध संघ द्वारा निर्धारित ड्रेस कोड अनुसार ड्रेस पहनना अनिवार्य है।

22. सेल्समेन को ड्रेस में नेम प्लेट लगाकर रखना होगा।

23. आवेदन में वांछित जानकारी पूर्ण रूप से भरना है एवं आवेदन के साथ वांछित समस्त दस्तावेज संलग्न नहीं होने पर वह निरस्त कर दिया जावेगा एवं आवेदन को लॉटरी हेतु सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

24. आवेदक को रेल्वे द्वारा या एमपीसीडीएफ एवं सम्बद्ध दुग्ध संघ द्वारा पूर्व में किसी भी कार्य/अनुबंध में अनियमितता के कारण टर्मीनेट या ब्लेक लिस्ट नहीं किया गया हो इस बाबत् ओवदक को रूपये 100/– के नॉन ज्यूनि ियल स्टॉम्प पेपर पर भापथ पत्र आवेदन के साथ संलग्न करना होगा। अन्यथा आवेदन स्वतः अमान्य हो जाएगा।

मुझे उपरोक्त समस्त नियम व शर्तें मान्य हैं। मेरे द्वारा दुग्ध संघ के समस्त निर्दे ों का परिपालन किया जावेगा। उल्लंघन करते पाये जाने पर दुग्ध संघ को मेरा आवंटन निरस्त करने का अधिकार होगा। मेरे द्वारा बिन्दु क्रमांक 01 से 24 तक दी गयी जानकारी पूर्णतः सत्य है। यदि कभी भी यह जानकारी असत्य प्रमाणित होती है तो दुग्ध संघ द्वारा जो निर्णय लिया जाएगा उसे मानने के लिए में बाध्य रहुंगा।

आवेदक के हस्ताक्षर

रेल्वे मिल्क पार्लर अनुबंध पत्र

यह अनुबंध मुख्य कार्यपालन अधिकारी उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, उज्जैन (जिन्हें आगे प्रथम पक्ष से संबोधित किया जाएगा) एवं श्री.................................. पुत्र..................................उम्र............., पता...(जिन्हें द्वितीय पक्ष के नाम से संबोधित किया जाएगा।) के मध्य निम्नलिखित शर्तों के अधीन निष्पादित किया जाता है।

1. (अ) यह कि प्रथम पक्ष दुग्ध एवं दुग्ध पदार्थ विक्रय संबंधी व्यवस्था हेतु द्वितीय पक्ष के आवेदन पर प्लेटफार्म क्र. .... पर साँची रेल्वे मिल्क पार्लर रेल्वे स्टे ान कोटा (राजस्थान) से दुग्ध एवं दुग्ध पदार्थ विक्रय हेतु अधिकृत करता है।

   (ब) यह अनुबंध विशुद्ध रूप से व्यावसायिक अनुबंध है तथा यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थाई है एवं प्रथम पक्ष द्वारा बिना किसी पूर्व सूचना के निरस्त की जा सकेगी। द्वितीय पक्ष द्वारा 30 दिन का अग्रिम नोटिस देकर, यह अनुबंध समाप्त किया जा सकेगा। नोटिस इस अनुबंध में वर्णित पते पर पंजीकृत/पावती डाक द्वारा भेजा जा सकेगा। यदि अन्यथा पूर्व में ही नया पता सूचित नहीं गया है तथा इस प्रकार भेजा गया पत्र/नोटिस प्राप्त कर लिया माना जावेगा। द्वितीय पक्ष एजेंटि ाप त्यागने/छोड़ने हेतु प्रथम पक्ष को लिखित में कम से कम 30 दिवस पूर्व सूचित करेगा, किन्तु प्रथम पक्ष द्वारा वैकल्पिक व्यवस्था किये जाने तक कार्य संपादन हेतु बाध्य होगा।

   (स) यह कि अनुबंध नियुक्ति तिथि से तीसरे वित्तीय वर्ष .... की दिनांक 31 मार्च तक की अवधि के लिये प्रभाव ील माना जावेगा अर्थात इस अनुबंध की अवधि प्रथम बार में नियुक्ति तिथि के वित्तीय वर्ष की दिनांक 31 मार्च तक होगी। उसके बाद पुनः अनुबंध का नवीनीकरण की अवस्था में अनुबंध की अवधि दिनांक 01 अप्रैल से प्रभावी होगी। यदि द्वितीय पक्ष पार्लर निरंतर चलाना चाहता है तो उसे उसी अनुसार नया अनुबंध तीसरे वित्तीय वर्ष की दिनांक 31 मार्च तक समाप्त होने के एक माह पूर्व निष्पादित करना होगा। अन्यथा पार्लर अन्य व्यक्ति को देने के लिये प्रथम पक्ष स्वतंत्र होगा।

   यह कि द्वितीय पक्ष द्वारा अनुबंध की किसी शर्त का उल्लंघन किया गया तो प्रथम पक्ष बिना किसी नोटिस के अनुबंध समाप्त कर सकेगा।

   (द) यह कि प्रथम पक्ष द्वारा एजेन्सी निरस्त करने पर द्वितीय पक्ष को निर्धारित अवधि में पार्लर का कब्जा अधिकृत व्यक्ति/अधिकारी को देना होगा, ऐसा न करने पर प्रथम पक्ष को आपत्ति करने का अधिकार न होगा।

   (इ) यह कि दोनों पक्षों में यदि विवाद उत्पन्न होता है तो यह विवाद–आरबीट्रे ान हेतु अध्यक्ष उज्जैन दुग्ध संघ अथवा उनके नामांकित व्यक्ति को संदर्भित किया जावेगा एवं उनके द्वारा दिया गया अवार्ड दोनों को मान्य एवं बंधनकारी होगा। आरबीट्रे ान की कार्यवाही आरबीट्रे ान एवं काउन्सिल अधिनियम 1996 के अंतर्गत संपादित होगी।

   (ड) यह कि अनुबंध के अंतर्गत विषयों के संबंधित उभय पक्षों के मध्य उत्पन्न विवादों के संबंध में समस्त क्षेत्राधिकार सहकारी अधिनियम के अंतर्गत सक्षम न्यायालय का होगा।

   (उ) समस्त विवादों के निपटारे के लिये न्यायिक कार्यक्षेत्र उज्जैन होगा।

2. (अ) यह कि द्वितीय पक्ष इस नियुक्ति के वक्त रूपये.. बतौर जमानत प्रथम पक्ष के पास जमा करायेगा, जिस पर कोई ब्याज देय नहीं होगा।

   (ब) यह कि भविष्य में जमानत रा ि में वृद्धि करने का अधिकारी प्रथम पक्ष को होगा जिसे जमा करने हेतु द्वितीय पक्ष बाध्य होगा।

   (स) यह कि अमानत रा ि पार्लर संबंधी किसी भी बकाया या नुकसान की रा ि भरपाई करने का अधिकारी प्रथम पक्ष को रहेगा।

   (द) यह कि अनुबंध की पूर्ती दो संभ्रात व्यक्तियों की रूपये .... प्रत्येक की जमानत रा ि देना अनिवार्य होगा तथा उक्त जमानत नामे भी इस करार नामे के

परिि ष्ठ के रूप में इसका अंग माने जावेंगे एवं द्वितीय पक्ष और उसके जमानत दारों पर बंधनकारी होंगे।

(इ) यह कि द्वितीय पक्ष द्वारा सिक्योरिटी वापसी के आवेदन करने पर उसे संघ से बकाया लेन देन के समायोजन एवं रेल मंडल से संबंधित शाखाओं से नो ड्यूज़ सर्टिफिकेट प्रस्तुत करने प चात ही सिक्योरिटी वापस की जावेगी।

3. (अ) द्वितीय पक्ष को आवंटित इस पार्लर को चौबीस घंटे या रेल्वे द्वारा निर्धारित समयावधि में खुला रखना होगा।

(ब) यह कि द्वितीय पक्ष को प्रथम पक्ष द्वारा समय–समय पर निर्धारित दुग्ध पदार्थों की विक्रय मूल्य तालिका एवं पार्लर खुलने एवं बंद होने की समय तालिका पार्लर पर लगाना आव यक होगा।

4. (अ) यह कि खाद्य विभाग या संबंधित विभाग से पार्लर द्वारा विक्रय किये जाने वाले पदार्थों का विक्रय लाईसेंस द्वितीय पक्ष को स्वयं के व्यय से प्राप्त करना होगा।

(ब) यह कि द्वितीय पक्ष द्वारा समस्त कानून अथवा उप नियम का पालन करना आव यक होगा। नापतौल विभाग नगर निगम खाद्य विभाग या प्र ाासनिक विभाग द्वारा बनाये गये किसी भी नियम का उल्लंघन करने पर द्वितीय पक्ष की जिम्मेदारी होगी।

(स) यह कि पार्लर में फ्रिज/डीप फ्रीजर आदि की व्यवस्था द्वितीय पक्ष को करनी होगी।

(द) यह कि प्रथम पक्ष के द्वारा निर्मित दुग्ध एवं दुग्ध पदार्थ के अतिरिक्त ऐसा कोई पदार्थ द्वितीय पक्ष द्वारा पार्लर से विक्रय नहीं किया जा सकेगा, जो प्रथम पक्ष द्वारा उत्पादित पदार्थों के समान्तर हो या उसके द्वारा प्रतिबंधित हो

(इ) यह कि पार्लर पर होने वाले व्यय रेल्वे लायसेंस फीस, विघुत, पानी एवं अन्य व्यय एवं रखरखाव व्यय द्वितीय पक्ष द्वारा वहन किया जावेगा एवं निर्धारित समय में रेल मंडल कार्यालय अथवा संघ के निर्दे ाानुसार संघ कार्यालय में जमा किया जावेगा।

(ई) यह कि द्वितीय पक्ष आवंटित पार्लर का अनुचित प्रयोग नहीं करेगा न ही किसी अन्य व्यक्ति को अन्य कार्य हेतु देंगे एवं विक्रय स्थल को स्वच्छ एवं दुर्गन्ध रहित रखेंगे।

5. (अ) प्रथम पक्ष द्वारा द्वितीय पक्ष को प्रदाय की गई दुग्ध एवं दुग्ध पदार्थ की पूर्ण राि ा द्वितीय पक्ष को प्रथम पक्ष द्वारा निर्धारित नियमानुसार वितरक को नगद भुगतान करना होगा या बैंक में जमा कराया जाना होगा। यदि किसी दिन बैंक का अवका ा हो तो अवका ा के दिन एवं कार्यालयीन दिवस में प्रदाय किये गये दुग्ध एवं दुग्ध पदार्थ सामग्री राि ा को बैंक के कार्यालयीन दिवस में जमा करना अनिवार्य होगा।

(ब) क्योंकि द्वितीय प्रथम पक्ष के लिये स्वीकृत एजेन्ट बतौर कार्य/व्यवसाय संबंधित उपभोक्ताओं से कर रहा है। अतः उपभोक्ताओं से लेन–देन की समस्त जवाबदारी द्वितीय पक्ष की होगी व किसी तरह उपजे विवाद के निराकरण वास्ते प्रथम पक्ष द्वारा दि ाा निर्दे ाों के पालनार्थ द्वितीय पक्ष बाध्य होगा।

(स) यह कि द्वितीय पक्ष को प्रथम पक्ष द्वारा निर्धारित दरों पर ही माल विक्रय करना होगा। इससे अधिक दर पर विक्रय किये जाने पर द्वितीय पक्ष की एजेन्सी तुरंत समाप्त की जा सकेगी।

6. यह कि प्रथम पक्ष द्वारा माल की अदायगी के समय ही द्वितीय पक्ष पैकेट/बॉटल की सील संस्था आदि की जाँच कर संतुष्टि की द ाा में ही माल प्राप्त करेंगे एवं सतर्कता से वितरण करेंगे। प्राप्ति के उपरांत माल की शुद्धता एवं तौल की पूर्ण जवाबदारी द्वितीय पक्ष की रहेगी।

7. यह कि शासन से संबंधित विभाग जैसे–रेल्वे द्वारा सेम्पल की मांग की जाने पर सील लगी इकाई ही द्वितीय पक्ष देवेंगे। इस संबंध में तुरंत प्रथम पक्ष को सूचित करेंगे, यदि द्वितीय पक्ष ने सेम्पल हेतु लीकेज/बगैर सील की कोई इकाई या खुला पदार्थ दिया तो उसकी जवाबदारी द्वितीय पक्ष की रहेगी। प्रथम पक्ष की कोई जवाबदारी नहीं रहेगी।

8. यह कि प्रथम पक्ष द्वारा प्रदाय किये दुग्ध एवं दुग्ध पदार्थ एवं खाली क्रेट्स, बॉटल का लेखा–जोखा द्वितीय पक्ष को रखना होगा एवं मांग किये जाने पर प्रथम पक्ष द्वारा अधिकृत

कर्मचारी/अधिकारी को प्रस्तुत करना होगा। प्रदायित सामग्री की टूट–फूट/नुकसान होने पर प्रचलित बाजार मूल्य से उसकी भरपाई द्वितीय पक्ष को करना होगा।

9. यह कि प्रथम पक्ष से कोई भी पत्र व्यवहार द्वितीय पक्ष स्वयं करेगा एवं प्रथम पक्ष द्वारा बुलाये जाने पर द्वितीय पक्ष व्यक्तिगत रूप से प्रथम पक्ष के कार्यालय में उपस्थित होंगे।
10. यह कि प्रथम पक्ष एवं रेल्वे मंडल द्वारा विक्रय एवं लाइसेन्स फीस संबंधी जो नियम वर्तमान में प्रचलित है एवं भविष्य में समय–समय पर बनाये जायेंगे, द्वितीय पक्ष को उसका पालन करना होगा।
11. यह कि प्रथम पक्ष द्वारा समय–समय पर लिये गये निर्णय के अनुसार दुग्ध पदार्थ के कमी ान की रा‍ि ा संबंधी परिवर्तन के आदे ा द्वितीय पक्ष पर बंधनकारक रहेगा।
12. यह कि इस अनुबंध की शर्तें व नियमों में परिवर्तन करने का अधिकार प्रथम पक्ष को होगा जिसकी सूचना द्वितीय पक्ष को दी जावेगी एवं द्वितीय पक्ष उसका पालन करेगा।
13. यह कि प्रथम पक्ष द्वारा द्वितीय पक्ष को दिये गये विभिन्न विक्रय लक्ष्यों को प्राप्त करना अनिवार्य होग, लक्ष्यों को प्राप्त न कर सकने पर प्रथम पक्ष आवंटन निरस्ती या अन्य को आवंटन आदि की कार्यवाही के लिये स्वतंत्र होगा। कार्य संतोषजनक न होने की स्थिति में बिना सूचना एजेन्टि ाप प्रथम पक्ष द्वारा समाप्त कर दी जावेगी।

उपरोक्त अनुबंध की समस्त शर्तों का उभय पक्षों ने पढ़कर समझा ली है एवं पूर्ण हो ाोहवास में बिना किसी दबाव के हस्ताक्षरित कर निष्पादित की गई है।

दिनांक :

गवाह : हस्ताक्षर

1. हस्ताक्षर...
नाम...
पता...

2. हस्ताक्षर...
नाम...
पता... द्वितीय पक्षकार

जमानतदार–नामा

मैं जमानतदार सर्व श्री.. पुत्र श्री.. ..उम्र.....वर्ष निवासी .... है कि कार्यालय प्रथम पक्ष एवं द्वितीय पक्ष श्री..आत्मज श्री.. .... आयु............वर्ष निवासी.. के बीच दिनांक..................... को जो अनुबंध लिखा गया है। इस अनहुबंध में प्रथम पक्ष को कोई नुकसान हुआ तो उसके लिये रू........................ शब्दों में... के नुकसान के जवाबदारी हमारी रहेगी। अगर नुकसान द्वितीय पक्ष ने अदा न की तो मैं जमानतदार स्वयं या प्रथम पक्ष हमारी चल–अचल संपत्ति से वसूल करने के अधिकारी रहेंगे।

सादर जमानत नामा प्रथम पक्ष में द्वितीय पक्ष द्वारा लिखे गये अनुबंध की पूर्ति जमानत बतौर मैनें आज दिनांक .... को लिख दिया है।

स्थान : जमानतदार

गवाह : हस्ताक्षर

नाम...
पता...